संख्याः 853 / 148 / एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस० / 2018–19

प्रेषक,

प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभागः देहरादूनः दिनांकः फरवरी 07, 2019

महोदय,

कृपया श्री अमरजीत सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भात सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या J-16020/02/2019-MGNREGA/RE-VIII(365856) दिनांक 20 फरवरी 2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के भारत का राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 764(अ) दिनांक 7 फरवरी 2019 द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन योजना 2019 बनायी है जो दिनांक 15 फरवरी 2019 से लागू हुई है।

यह योजना भूमिहीन श्रमिकों सहित असंगठित कर्मकारों पर लागू होगी जो अन्य समान व्यवसाय में कार्य कर रहे हों। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्य कर रहे श्रमिकों पर भी लागू होगी। उक्त पेंशन योजना से असंगठित कर्मकारों को प्रभावी रूप से जोड़ने हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं महिला स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लिया जाना है। स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य, जो अकुशल श्रमिक भी हो, को भी पंजीकृत किया जाय।

उक्त सम्बन्ध में अपर सचिव, ग्राम्य विकास के पत्र संख्या 817 / 148 / एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस० / 2018–19 दिनांक 22 फरवरी 2019 द्वारा भी दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्य कर रहे श्रमिकों को उपरोक्त योजना में पंजीकृत करते हुए योजना का लाभ पहुँचाया जाय तथा मासिक प्रगति सूचना से शासन को अवगत कराया जाय।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीया

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

अमरजीत सिन्हा
AMARJEET SINHA

सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
SECRETARY
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Tel.: 91-11-23382230, 23384467
Fax: 011-23382408
E-mail: secyrd@nic.in

DO # J-16020/02/2019/MGNREGA/RE-VIII(365856)

February 20, 2019

Dear Chief Secretary,

As you are aware, Government of India, Ministry of Labour and Employment vide gazette notification No. S.O.764(E) dated 7th February 2019 (copy enclosed) has notified a Scheme called Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan 2019 in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section 1 of Section 3 of the Unorganized Workers' Social Security Act, 2008. This Scheme has come into force on 15th February 2019.

2. The provisions of the scheme is applicable to the unorganized workers including landless labourers who are working or engaged as landless labourers and similar other occupation. This scheme is also applicable for workers engaged in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS). You may like to request the Principal Secretary, Rural Development for involving the State Rural Livelihoods Missions and Women SHGs in effectively mobilizing unorganized workers to join the useful scheme of pensions. You may also like to ensure that the SHG Women, who are also informal workers, may be enrolled.

3. You are requested to provide wider publicity about the scheme among the MGNREGA workers by taking appropriate measures. The IEC material will be provided by Ministry of Labour and Employment directly to the State.

Yours sincerely,

<u>encl: as above</u>

sd/-
[Amarjeet Sinha]

The Chief Secretary of all States/UTs

Copy to:

1. The Principal Secretary, Rural Development Deptt./Panchayati Raj Deptt. of all States/UTs
2. The Mission Directors of SRLMs of all States/UTs.
3. The Commissioners of MGNREGA of States and UTs.

[Amarjeet Sinha]